



An Initiative by **अमरउजाला**

# INDIAN POLITY BY- SUJEET BAJPAI SIR





## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक '[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]' बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, (3)

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता, (5)

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए, (2)

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और '[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए


दुःसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- 26 NOV. 1949  
- शक्ति का स्रोत =  
भारत के लोग.

Added  
(1976)

भारत राज्य की विशेषताएँ ⇒ (5)

भारत की विशेषताएँ  
राज्य की विशेषताएँ  
अमर उजाला





\_\_\_\_\_

3

۱۵۶

A thick, dark grey, hand-drawn letter 'L'. The letter is composed of two strokes: a vertical line and a horizontal line. The vertical line starts at the top left and goes down to the bottom right. The horizontal line starts at the top left and goes right to the middle right. The letter is slightly tilted to the right.

\_\_\_\_\_

- Preamble
- FIR
- DPSP

S-writ

Re. Const. Remedies

## ① बंदी प्रत्यक्षीकरण

इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'को प्रस्तुत किया जाए'। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है, जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करता है, यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है।

Art-32

Heart & Soul of Ind. Const.

महेश क



बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है । यह रिट तब जारी नहीं किया की जा सकती है । यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता है जब यदि (i) हिरासत कानून सम्मत है, (ii) कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, (iii) न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं (iv) हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर हुई हो ।

mandamus

परमादेश

we Command.

इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह एक नियंत्रण है, जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है।





परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता—(i) निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, (ii) ऐसे विभाग जो गैर-संवैधानिक हैं, (iii) जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं, (iv) संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, (v) भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध और (vi) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं।

# Prohibition

## प्रतिषेध

इसका शाब्दिक अर्थ 'रोकना'। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्यायक्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता।

प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के उपलब्ध नहीं है।

प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के उपलब्ध नहीं है।

4)

उत्प्रेषण

उत्प्रेषण

उत्प्रेषण

इसका शाब्दिक अर्थ 'प्रमाणित होना' या 'सूचना देना' है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है (इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है; उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है।)

जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी

## अधिकार पृच्छा

Quo Warranto

शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी 'प्राधिकृत या वारंट के द्वारा' है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है।



रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता।

अन्य चार रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा।

Non-Justiciable

राज्य के नीति निर्देशक तत्व → Part (4)  
(Directive Principles of State Policy)

↓  
Purpose  
Welfare State  
→ Ireland =  
(गान्धीवादी सिद्धांत)

अनुच्छेद संख्या	विषय-वस्तु
36.	<u>राज्य</u> की परिभाषा
<u>37.</u>	इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। - न्यायालय (X)
38.	राज्य द्वारा जन-कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना
39.	राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति-सिद्धांत
→ 39.A	समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता
→ 40.	ग्राम पंचायतों का संगठन 73 + 74
→ 41.	कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता

मनरेगा

Art. 21A (FR)

- GOA
- 42. न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान।
  - 43. कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि
  - 43.A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता
  - 43.B. सहकारी समितियों को प्रोत्साहन
  - 44. नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
  - 45. बालपन-पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा
  - 46. अनु. जाति, अनु. जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक, तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

maternity  
leave

UCC

Cr. Law (Same)  
Civil Law (X)

47. पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन-स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने सम्बन्धी सरकार का कर्तव्य।

48. कृषि एवं पशुपालन का संगठन

✓ 48.A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा

49. स्मारकों, तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण

✓ 50. न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव

✓ 51. (अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन)

→ विदेश नीति का माध्यम =

~~स्वर्ग सिंह समिति~~  
~~की सिफारिशों पर~~  
~~add किया गया था।~~  
~~42 / 1976~~  
~~→ ORG-10~~  
 Fundamental  
 duties  
 C 4A  
 present = 11







सत्यमेव जयते

## **CONSTITUTION OF INDIA**

### **Preamble**

WE THE PEOPLE OF INDIA, having  
solemnly resolved to constitute India into a  
Sovereign Socialist Secular Democratic Republic  
and to secure to all its citizens

### **JUSTICE**

Social, economics and political:

### **LIBERTY**

of thought, expression, belief, faith and worship

### **EQUALITY**

of status and of opportunity; and to  
promote among them all

### **FRATERNITY**

assuring the dignity of the individual and  
the unit and integrity of the Nation

### **IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY**

this twenty-sixth day of November, 1949, do

**HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO  
OURSELVES THIS CONSTITUTION**

## Habeas Corpus

It is a Latin term which literally means ‘to have the body of’. It is an order issued by the court to a person who has detained another person, to produce the body of the latter before it. The court then examines the cause and legality of detention. It would set the detained person free, if the detention is found to be illegal. Thus, this writ is a bulwark of individual liberty against arbitrary detention.

The writ of *habeas corpus* can be issued against both public authorities as well as private individuals. The writ, on the other hand, is not issued where the (a) detention is lawful, (b) the proceeding is for contempt of a legislature or a court, (c) detention is by a competent court, and (d) detention is outside the jurisdiction of the court.

## Mandamus

It literally means 'we command'. It is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. It can also be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government for the same purpose.

The writ of *mandamus* cannot be issued (a) against a private individual or body; (b) to enforce departmental instruction that does not possess statutory force; (c) when the duty is discretionary and not mandatory; (d) to enforce a contractual obligation; (e) against the president of India or the state governors; and (f) against the chief justice of a high court acting in judicial capacity.

## Prohibition

Literally, it means 'to forbid'. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. Thus, unlike *mandamus* that directs activity, the prohibition directs inactivity.



## Certiorari

In the literal sense, it means 'to be certified' or 'to be informed'. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the latter to itself or to squash the order of the latter in a case. It is issued on the grounds of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law. Thus, unlike prohibition, which is only preventive, *certiorari* is both preventive as well as curative.

Previously, the writ of *certiorari* could be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities. However, in 1991, the Supreme Court ruled that the *certiorari* can be issued even against administrative authorities affecting rights of individuals.

Like prohibition, *certiorari* is also not available against legislative bodies and private individuals or bodies.



## Quo-Warranto

In the literal sense, it means 'by what authority or warrant'. It is issued by the court to enquire into the legality of claim of a person to a public office. Hence, it prevents illegal usurpation of public office by a person.

The writ can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character created by a statute or by the Constitution. It cannot be issued in cases of ministerial office or private office.

Unlike the other four writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by the aggrieved person.


<i><b>Article No.</b></i>	<i><b>Subject Matter</b></i>
36.	Definition of State
37.	Application of the principles contained in this part
38.	State to secure a social order for the promotion of welfare of the people
39.	Certain principles of policy to be followed by the State

- |      |   |
|------|---|
| 39A. | Equal justice and free legal aid  |
| 40.  | Organisation of village panchayats  |
| 41.  | Right to work, to education and to public assistance in certain cases   |
| 42.  | Provision for just and humane conditions of work and maternity relief   |
| 43.  | Living wage, etc., for workers  |
| 43A. | Participation of workers in management of industries  |
| 43B. | Promotion of co-operative societies   |
| 44.  | Uniform civil code for the citizens   |
| 45.  | Provision for early childhood care and education to children below the age of six years                         |
| 46.  | Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections |
| 47.  | Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health       |
| 48.  | Organisation of agriculture and animal husbandry  |

- |      |  |
|------|--|
| 48.  | Organisation of agriculture and animal husbandry                                   |
| 48A. | Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife |
| 49.  | Protection of monuments and places and objects of national importance              |
| 50.  | Separation of judiciary from executive   |
| 51.  | Promotion of international peace and security                                      |



**Don't Forget to Like /  
Comment & Share this  
video**





[www.Youtube.com/safaltaclass](http://www.Youtube.com/safaltaclass)



[www.Facebook.com/safaltaclass](http://www.Facebook.com/safaltaclass)



[www.Instagram.com/safaltaclass](http://www.Instagram.com/safaltaclass)



Google Play  
Store



**SAFALTA**CLASS